



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2924/अकादमी/संबं/2019

भोपाल, दिनांक 03-08-2019

प्रति,

प्राचार्य
अशासकीय महाविद्यालय
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्धता

विषय:- निजी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग तथा कर्मचारियों का बीमा एवं भविष्य निधि में शासन द्वारा अंश दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ : कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्र. 1289/453/आउशि/अनु.बजट/19 दिनांक 12.07.2019

- इस कार्यालय द्वारा अशासकीय महाविद्यालयों को किया गया Mail दिनांक 26.07.2019 ।
- स्मरण पत्र दिनांक 27.07.2019
- तृतीय स्मरण पत्र दिनांक 31.07.2019 द्वारा अविलम्ब पत्र दिनांक 31.07.2019 दिनांक 01.08.2019 तक जानकारी चाही गई थी।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित करना पड़ रहा है कि अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा जो जानकारी चाही गई थी, वह अशिकांश महाविद्यालयों द्वारा प्रदान नहीं की गई है, जो कि अद्यतन अनुशासनात्मक तथा खेद जनक है।

अतः समस्त प्राचार्य दिनांक 07.08.2019 को समय 3.00 बजे तक सत्य भवन के बेतवा कक्ष में स्वयं निर्धारित प्रपत्र में जानकारी लेकर उपस्थित हों। जानकारी प्राप्त न होने पर आपके महाविद्यालय पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


कुलसचिव



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ0क्रमांक 2925/अकादमी/संबं/2019

भोपाल, दिनांक 03-08-2019

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संबद्धता शाखा उच्च शिक्षा म.प्र.।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
5. प्रभारी आई.टी.सेल ब.वि.वि. भोपाल कृपया पत्र को वेबसाईट पर अपलोड करें।


सहायक-कुलसचिव, अकादमी



परिशिष्ट-1

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कार्यरत शैक्षणिक वर्ग / अशैक्षणिक वर्ग का नाम एवं पदनाम	वेतन	भविष्य निधि कटौती प्रतिशत